

प्रेस नोट

दिनांक 21.02.2021

थाना हसनपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफास कर भारी मात्रा में बने व अधबने शस्त्र /शस्त्र बनाने के उपकरणों सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमती सुनीति पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा के नेतृत्व में श्री अजय प्रताप सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी हसनपुर के निकट पर्यवेक्षण में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.02.2021 को थाना हसनपुर पुलिस को सूचना मिली के 03 व्यक्ति रूखालू से पिपलौती खुर्द की तरफ जाने वाले मार्ग पर पक्की सडक से नजदीक मुनेश के गन्ने के खेत मे अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं सूचना पर थाना हसनपुर पुलिस द्वारा ग्राम रूखालू - पिपलौती मार्ग पक्की सडक के नजदीक मुनेश के गन्ने के खेत में अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहे **02 अभियुक्तगण 1. इरशाद उर्फ इंसान 2. रूपेश उर्फ भालू** को भारी मात्रा में बने/अधबने शस्त्रों व शस्त्र बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया जिनका 01 अन्य साथी वहीद पुत्र नत्थू निवासी रहरा रोड कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा अन्धेरे मे गन्ने की आड का लाभ लेकर मौके से फरार हो गया । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना हसनपुर पर मु0अ0स0 65/2021 धारा 5/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई । फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार शुदा **अभियुक्त रूपेश उर्फ भालू एक शातिर किस्म का गैंगस्टर अभियुक्त है जो पूर्व में थाना आदमपुर व हसनपुर से लूट, चोरी व अवैध शस्त्र रखने के अपराध मे जेल जा चुका है जिसके विरुद्ध जनपद मे करीब एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है ।** अभियुक्तगण जंगल में एक साथ मिलकर अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हैं तथा आर्थिक लाभ लेने हेतु अपने परिचय के लोगों के साथ मिलकर जनपद अमरोहा व अन्य जनपदों मे शस्त्रों की सप्लाई करते हैं । मौके से फरार **अभियुक्त वहीद पुराना कारीगर है जो पूर्व मे भी अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालन करने के जुर्म मे जेल जा चुका है ।** अभियुक्तगण से पूछताछ कर शेष अपराधिक इतिहास की



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. इरशाद उर्फ इंसान पुत्र हसमत अली निवासी ग्राम रूखालू थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. रूपेश उर्फ भालू पुत्र काले निवासी ग्राम रूखालू थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

फरार अभियुक्त:-

वहीद पुत्र नत्थू निवासी रहरा रोड कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 तमन्चे 315 बोर, 03 तमन्चे 12 बोर - बने हुये ।
2. 01 बन्दूक 12 बोर - बनी हुई ।
3. 15 तमन्चे 315 बोर - अधबने हुये ।
4. 02 जिन्दा कारतूस, 03 डमी कारतूस 315 बोर ।

06 बने हुये शस्त्र व 15 अधबने

कुल 21 अवैध शस्त्र

आयुध निर्माण के अन्य बरामद उपकरण :-

01 ड्रिल मशीन, 01 एयर पंखा, 01 सिकन्जा, धोकनी, प्लास, हथोडा, अंगीठी, पेट्रोमेक्स, रेती आदि ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रूपेश उर्फ भालू:-

1. मु0अ0सं0 536/2015 धारा 457/380/411 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 652/2015 धारा 3(1) गैगस्टर अधि0 थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
3. मु0अ0सं0 472/2015 धारा 394/352/411 भादवि थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।

4. मु0अ0सं0 34/2018 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
5. मु0अ0सं0 65/2021 धारा 5/25 आयुद्ध अधिनियम थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
6. मु0अ0सं0 504/17 धारा 411/413/414 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
7. मु0अ0सं0 682/17 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना गजरौला जनपद अमरोहा ।
8. मु0अ0सं0 434/17 धारा 379 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
9. मु0अ0सं0 435/16 धारा 379 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
10. मु0अ0सं0 711/17 413/414/420 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
11. मु0अ0सं0 712/17 धारा 25 आयुद्ध अधिनियम थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इरसाद उर्फ इंसान:-

1. मु0अ0सं0 65/2021 धारा 5/25 आयुद्ध अधिनियम थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज मलिक थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
3. उ0नि0 श्री मनोज बाबू थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
4. हे0का0 29 रामचन्द्र गंगवार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
5. का0 57 अनुज कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
6. का0 341 गौरव कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
7. का0 350 अंकित कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।